भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1599
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत बकाया राशि का भुगतान

1599. श्री लालजी वर्मा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत अंबेडकर नगर और अयोध्या जिलों में सामग्री शीर्ष के तहत भुगतान लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का बकाया राशि का भुगतान करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो बकाया राशि का भुगतान कब तक किया जाएगा?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामग्री घटक के लिए निधि जारी करने के लिए भारत सरकार को निधि जारी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित है। केन्द्र सरकार समय-समय पर दो खेप में निधियां जारी करती है, जिसमें प्रत्येक खेप एक या अधिक किस्तों में होती है , जो "सहमत" श्रम बजट, कार्यों की मांग, प्रारंभिक शेष, निधियों के उपयोग की गति , लंबित देनदारियों, समग्र निष्पादन को ध्यान में रखते हुए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन होती है।

केंद्र सरकार राज्य सरकार को सामग्री निधि जारी करती है और राज्य उस निधि को जिलों को जारी करते है। केन्द्र सरकार जिलों को सीधे तौर पर सामग्री निधि जारी नहीं करती है।

उत्तर प्रदेश राज्य को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 (23.07.2025 की स्थिति के अनुसार) में 6068.58 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है , जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की पूरी लंबित मजदूरी देनदारियां और 50% सामग्री देनदारियां शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश के संबंध में सामग्री घटक के लिए कोई लंबित देयता नहीं है।

उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर और अयोध्या जिलों में पिछले दो वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 (24.07.2025 तक) के दौरान इस योजना के तहत किया गया कुल व्यय निम्नानुसार है:

	कुल व्यय (आंकड़ा लाख में)		
वित्तीय वर्ष	2023-24	2024-25	2025-26 (24.07.2025 की स्थिति के अनुसार)
अंबेडकर नगर	16,902.50	16750.55	5066.23
अयोध्या	15,584.53	15,491.19	4,830.04

(नरेगा सॉफ्ट के अनुसार)

सामग्री घटक के लिए लंबित देयता 21.07.2025 की स्थिति के अनुसार, 1232.16 करोड़ रुपये है। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की सभी देय और स्वीकार्य सामग्री देयताएं पहले ही जारी कर दी गई हैं।

****